

**ई गर्वनैस सोसाईटी, (आर०एल०ए०) कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि 12.09.2006 से 31.03.2016**

- 1 आरम्भिक:— (क)** हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन निगम की अधिसूचना संख्या टी०पी०टी०—एफ(1)3/2000 ई—गर्वनैस दिनांक 3.09.05 के दृष्टिगत ई—गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू के अवधि 12.09.2006 से 31.03.2016 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के श्री राम लाल, सहायक नियन्त्रक व श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 3.12.2016 से 9.01.2017 के दौरान कुल्लू में किया गया। ई—गर्वनैस सोसाईटी जिला कुल्लू का गठन सभाएं पंजीकरण अधिनियम XXX1 1860 के अन्तर्गत दिनांक 11.09.2006 को पंजीकरण संख्या 489/2006 के अन्तर्गत हुआ था इसी पंजीकरण संख्या के अन्तर्गत ई—गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू ने अपना कार्य 12.09.2006 से आरम्भ किया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/06, 4/07, 1/09, 10/09, 11/10, 1/12, 12/12, 1/14, 11/14 व 2/16 तथा व्यय की जाँच हेतु माह 12/06, 5/07, 7/08, 7/09, 8/10, 4/11, 5/12, 3/14, 2/15 व 1/16 का चयन किया गया।

**(ख) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे:—**

| क्र० सं० | नाम                 | अवधि                   |
|----------|---------------------|------------------------|
| 1        | श्री चम्बेल सिंह    | 5.7.2005 से 31.5.2007  |
| 2        | श्री अभिषेक जैन     | 11.6.2007 से 19.3.2008 |
| 3        | श्री मति सुधा जैन   | 19.3.2008 से 31.5.2009 |
| 4        | श्री बी०एम० नाटा    | 1.6.2009 से 2.5.2012   |
| 5        | श्री प्रियातु मण्डल | 2.5.2012 से 6.6.2012   |
| 6        | श्री अमिताभ अवस्थी  | 7.6.2012 से 9.10.2012  |
| 7        | श्री अमनदीप गर्ग    | 10.10.2012 से 3.7.2013 |
| 8        | श्री सर्तनेगी       | 7.1.2013 से 3.7.2013   |
| 9        | श्री राकेश कंवर     | 3.7.2013 से 18.2.2016  |
| 10       | श्री एच०आर० चौहान   | 22.2.2016 से 16.9.2016 |

**(ग) अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी कुल्लू के प्रभारी के पद पर कार्यरत रहे:—**

| क्र० सं० | नाम                   | अवधि                   |
|----------|-----------------------|------------------------|
| 1        | श्री आई० एस० भारद्वाज | 9.4.2003 से 17.4.2007  |
| 2        | श्री बलदेव ठाकुर      | 19.4.2007 से 25.2.2008 |
| 3        | श्री शिव लाल          | 25.2.2008 से 31.1.2009 |

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 4 | श्री ए0 एल0 शर्मा      | 6.2.2009 से 18.5.2010  |
| 5 | कु0 शार्ङनामोल         | 19.5.2010 से 1.6.2011  |
| 6 | श्री विनय धीमान        | 16.6.2011 से 1.2.2013  |
| 7 | श्री विनय सिंह         | 1.2.2013 से 29.7.2013  |
| 8 | श्री सुरेश चन्द जस्वाल | 5.8.2013 से 29.12.2014 |
| 9 | श्री रोहित राठौर       | 29.12.2014 से लगातार   |

(घ) यह अंकेक्षण ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाए जाने की परिस्थिति में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

(ङ) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

| क्र०सं० | पैरा सं० | विवरण                                   | राशि (लाखों में) |
|---------|----------|-----------------------------------------|------------------|
| 1       | 3 (क)    | वित्तीय स्थिति व बैंक खाते में अन्तर    | 0.17             |
| 2       | 4 (क)(ख) | रोकड़ वही/लैजर व तुलन पत्र तैयार न करना | —                |
| 3       | 5 (क)    | सेवा शुल्क का 25% भाग राजकोष में कम जमा | 3.53             |
| 4       | 5 (ख)    | 25% भाग ई चालान राजकोष में जमा न करवाना | 0.03             |
| 5       | 6        | बैंक में कम जमा करवाने बारे             | 0.05             |
| 6       | 6 (क)    | 25% भाग गलत शीर्ष में जमा               | 2.17             |

## 2 अंकेक्षण शुल्क:-

ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू के अवधि 9/2006 से 3/2016 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक दिनों कार्य के आधार पर कुल ₹31000 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या KC-180/2017-182, दिनांक 9.1.2017 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (न०) एव प्रभारी ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू से अनुरोध किया गया।

## 3 वित्तीय स्थिति:-

ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

**(क) वित्तीय स्थिति व बैंक खाते के ₹0.17 लाख के अन्तर बारे:-**

ई-गर्वनैस सोसाईटी के अंकेक्षण अवधि 9/2006 से 3/2016 की रोकड़ वही की मांग अंकेक्षण अधियाचना संख्या KC-180/2016-166, दिनांक 3.12.2016 द्वारा प्रभारी ई-गर्वनैस से की गई परन्तु उपमण्डल अधिकारी व प्रभारी ई-गर्वनैस सोसाईटी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 564 दिनांक 4.01.2017 द्वारा यह सूचित किया गया कि सोसाईटी द्वारा रोकड़ वही का रख रखाव नहीं किया गया था। जिस कारण वित्तीय स्थिति का निर्धारण ई-गर्वनैस सोसाईटी द्वारा प्रस्तुत दैनिक सेवा शुल्क प्राप्ति वाउचरों के आधार पर किया गया। वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष ₹90964 है जबकि बैंक खाता संख्या 337800010501 के अनुसार अन्तिम शेष ₹108190 है जोकि वित्तीय स्थिति के अन्तिम शेष से ₹17226 अधिक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षण अवधि की रोकड़ वही को तैयार करके बैंक खाते से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**4 (क) रोकड़ वही/लेखों का रख रखाव न करना:-**

अंकेक्षण अवधि के लेखों की जांच करने पर पाया गया कि ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू द्वारा सेवा शुल्क से प्राप्त आय के लिए कोई भी रोकड़ वही का रख रखाव नहीं किया गया था तथा प्रतिदिन प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को बैंक खाता संख्या 3378000105013159 में जमा करवाया गया था। ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू जिला कुल्लू द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 6 के अनुसार ई-गर्वनैस सोसाईटी को रोकड़ वही के साथ-साथ लैजर का रख रखाव भी करना अपेक्षित था। अतः रोकड़ वही का रख रखाव न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा भविष्य में सोसाईटी के द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 6 के अनुसार रोकड़ वही का रख रखाव करने के साथ अन्य अपेक्षित अभिलेखों का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख)** हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0-एफ (1) 3/2000, ई-गर्वनैस, दिनांक 3.9.2005 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का निर्माण सुनिश्चित करते हुए तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड़ वही का रख रखाव किया था और न ही लैजर व तुलन पत्र तैयार किया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुए रोकड़ वही का निर्माण करने के साथ सम्बन्धित लैजर, तुलन पत्र (Balance Sheet) व

बैंक समाधान विवरणी भी तैयार की जाए एवं कृत कार्रवाई से आगामी अंकक्षण पर अवगत करवाया जाए।

## 5 राजकीय कोष में जमा राशियों का विवरण:-

ई-गर्वनैस सोसाईटी कुल्लू द्वारा अवधि 12.09.2006 से 31.03.2016 तक प्राप्त कुल सेवा शुल्क ₹74,58,678 में से 25% भाग ₹15,11,549 राजकीय कोष में जमा करवाए थे जिसका विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

| क्र०सं० | चालान न०         | अवधि                  | राशि (₹)         |
|---------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1       | 020 / 20.03.14   | 2009.10 से 2012-13    | 5,66,885         |
| 2       | 044 / 4.6.14     | 2013-14               | 2,41,257         |
| 3       | Trough E-Challan | 1.4.2014 से 31.3.2015 | 3,54,018         |
| 4       | Trough E-Challan | 1.4.2015 से 31.3.2016 | 3,49,389         |
|         |                  | <b>कुल राशि</b>       | <b>15,11,549</b> |

### (क) राजकीय कोष में ₹3.53 लाख जमा न करवाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी०पी०टी०-एफ (1) 3/2000, ई-गर्वनैस, दिनांक 3.9.2005 के पैरा 3 (बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रुप में प्राप्त कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। सोसाईटी द्वारा 12.9.2006 से 31.3.2016 तक प्राप्त सेवा शुल्क की राशियों व राजकीय कोष में जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है जिसमें से ₹353120 राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया। अतः शेष 25% भाग ₹353120 को राजकीय कोष में जमा करवाया जाए।

| क्र०सं० | अवधि                 | प्राप्त सेवा शुल्क (₹) | सेवा शुल्क का 25% भाग (₹) | राजकीय कोष में जमा 25% भाग (₹) |
|---------|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1       | 2006-07<br>(12.9.06) | 315525                 | 78881                     | —                              |
| 2       | 2007-08              | 407715                 | 101929                    | —                              |
| 3       | 2008-09              | 506500                 | 126625                    | —                              |
| 4       | 2009-10              | 509840                 | 127460                    | —                              |
| 5       | 2010-11              | 615030                 | 153758                    | —                              |
| 6       | 2011-12              | 638920                 | 159730                    | —                              |
| 7       | 2012-13              | 688730                 | 172182                    | —                              |
| 8       | 2013-14              | 964778                 | 241195                    | 566885                         |
| 9       | 2014-15              | 1417410                | 354352                    | 595275                         |
| 10      | 2015-16              | 1394230                | 348557                    | 349389                         |
|         | <b>कुल</b>           |                        | <b>1864669</b>            | <b>1511549</b>                 |

राजकीय कोष में कम जमा राशि = ₹1864669 - ₹1511549 = ₹353120

(ख) ई-चालान दिनांक 19.2.2016 द्वारा 25% भाग ₹0.03 लाख राजकीय कोष में जमा न करवाना:—

ई-गर्वनैन्स सोसाईटी कुल्लू द्वारा 1.4.14 से प्राप्त सेवा शुल्क की कुल राशि का 25% भाग ई-चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाया जा रहा है। ई-चालान वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ई-चालान नं० HIMGRNB16B103112 दिनांक 19.2.16 के अन्तर्गत कुल सेवा शुल्क ₹10510 में से 25% भाग की कटौती करके शेष ₹7883 तो ई-गर्वनैन्स सोसाईटी के बैंक खाते में जमा किए गए परन्तु 25% भाग ₹2627 ई-चालान के माध्यम से राजकीय कोष में जमा नहीं करवाए गए प्रतीत होते हैं। अतः 19.2.16 को यदि 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाए गए थे तो उसका चालान जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹2627 की वसूली उचित स्रोत से करके राजकीय कोष में जमा करवाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 6 बैंक में ₹0.05 लाख कम जमा करवाने बारे:—

ई-गर्वनैन्स सोसाईटी कुल्लू की आय के दैनिक सेवा शुल्क के वाउचरों व बैंक पास बुक का मिलान करने पर पाया गया कि ₹4880 बैंक में कम जमा करवाए गये हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

| क्र०सं० | दिनांक   | प्राप्त सेवा शुल्क<br>(₹) | बैंक में जमा राशि<br>(₹) | बैंक में कम जमा राशि<br>(₹) |
|---------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1       | 9.9.09   | 1360                      | —                        | 1360                        |
| 2       | 16.10.09 | 1220                      | —                        | 1220                        |
| 3       | 19.10.09 | 1990                      | —                        | 1990                        |
| 4       | 20.9.12  | 1740                      | 1470                     | 270                         |
| 5       | 11.12.13 | 3760                      | 3720                     | 40                          |
|         |          |                           | <b>कुल</b>               | <b>₹4880</b>                |

अतः उपरोक्त राशि किस दिनांक को बैंक में जमा की गई का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए अन्यथा ₹4880 की वसूली करके बैंक में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) 27.8.14 से 8.4.15 तक 25% भाग ₹2.17 लाख को राजकीय कोष के शीर्ष 0041 के स्थान पर शीर्ष 1055 में जमा करवाने बारे:—

ई-गर्वनैन्स सोसाईटी कुल्लू द्वारा प्राप्त सेवा शुल्क व 25% भाग को राजकीय कोष में जमा ई-चालानों की जाँच पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा 27.8.14 से 8.4.15 तक प्राप्त

सेवा शुल्क का 25% भाग ₹216939 को राजकीय कोष के शीर्ष 0041 के स्थान पर शीर्ष 1055 में जमा करवाया गया है जबकि पत्र संख्या C.T./Accts/e-Governance Society/05-541-53 दिनांक 9.1.06 के अनुसार प्राप्त सेवा शुल्क का 25% भाग राजकीय कोष के शीर्ष 0041 में जमा करवाना अपेक्षित था। अतः 25% भाग ₹216939 को शीर्ष 1055 में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और उपरोक्त राशि को सही शीर्ष में हस्तांतरण करने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

## 7 प्राप्त सेवा शुल्क की राशि को देरी से बैंक में जमा करवाने बारे:-

सेवा शुल्क से प्राप्ति के वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा प्रतिदिन सेवा शुल्क प्राप्ति को देरी से बैंक में जमा करवाया गया था जबकि प्राप्त आय को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। बैंक में देरी से जमा राशियों व दिनांक का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| क्र०सं० | प्राप्त आय की अवधि | प्राप्त आय | बैंक में जमा करने की दिनांक |
|---------|--------------------|------------|-----------------------------|
| 1       | 3.5.07 से 10.5.07  | 11800      | 10.5.07                     |
| 2       | 6.7.07             | 1100       | 11.7.07                     |
| 3       | 25.7.07 से 29.7.07 | 5500       | 30.7.07                     |
| 4       | 3.8.07             | 1450       | 7.8.07                      |
| 5       | 8.12.07            | 800        | 24.12.17                    |
| 6       | 18.1.08            | 2690       | 22.1.08                     |
| 7       | 6.8.09             | 1760       | 10.8.09                     |
| 8       | 10.9.09            | 960        | 15.9.09                     |
| 9       | 15.9.09            | 2140       | 26.9.09                     |
| 10      | 18.9.09            | 1890       | 8.10.09                     |
| 11      | 19.9.09            | 730        | 8.10.09                     |
| 12      | 22.9.09            | 1530       | 8.10.09                     |
| 13      | 23.9.09            | 910        | 30.10.09                    |
| 14      | 24.9.09            | 1640       | 19.11.09                    |
| 15      | 25.9.09            | 1170       | 19.11.09                    |
| 16      | 26.9.09            | 1660       | 27.11.09                    |
| 17      | 1.10.09            | 1400       | 27.11.09                    |
| 18      | 3.10.09            | 500        | 27.11.09                    |
| 19      | 5.10.09            | 1340       | 9.12.09                     |
| 20      | 6.10.09            | 1900       | 9.12.09                     |
| 21      | 7.10.09            | 1250       | 9.12.09                     |

|    |          |      |          |
|----|----------|------|----------|
| 22 | 8.10.09  | 1940 | 16.12.09 |
| 23 | 9.10.09  | 2930 | 22.12.09 |
| 24 | 12.10.09 | 2170 | 22.12.09 |
| 25 | 13.10.09 | 3280 | 22.12.09 |
| 26 | 14.10.09 | 2230 | 31.12.09 |
| 27 | 15.10.09 | 1780 | 31.12.09 |

भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों पर अंकुश लगाया जाए।

## 8 वास्तविक प्राप्तकर्ता से रसीदें प्राप्त न करने बारे:-

अंकेक्षण अवधि में अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि ई-गर्वनैन्स सोसाईटी कुल्लू द्वारा अध्यक्ष ई-गर्वनैन्स सोसाईटी जिला कुल्लू को निम्नविवरणानुसार विभिन्न राशियों का भुगतान किया गया परन्तु इस सन्दर्भ में रसीदें प्राप्त नहीं की गई तथा जाँच हेतु अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्तकर्ता से रसीदें प्राप्त करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र०सं० | माह   | राशि (₹) |
|---------|-------|----------|
| 1       | 12/06 | 145150   |
| 2       | 5/07  | 120475   |
| 3       | 7/08  | 128025   |
| 4       | 7/09  | 47883    |
| 5       | 4/11  | 700000   |
| 6       | 5/12  | 668000   |
| 7       | 2/15  | 200000   |
| 8       | 1/16  | 159000   |

## 9 स्टॉक रजिस्ट्रों को तैयार न करना:-

अंकेक्षण अवधि में क्रय सामग्री के बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा ई-गर्वनैन्स फण्ड से क्रय सामग्री को स्टॉक/स्टोर रजिस्ट्रों में दर्ज नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या KC-180/2016-166 दिनांक 3.12.16 द्वारा उप मण्डल अधिकारी (न) व प्रभारी ई-गर्वनैन्स सोसाईटी से स्टॉक रजिस्टर की मांग की गई थी जिसके उत्तर में सोसाईटी द्वारा यह जानकारी दी गई कि सोसाईटी में स्टॉक रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि ई-गर्वनैन्स सोसाईटी जिला कुल्लू द्वारा निर्धारित फण्ड नियम 11 के अनुसार स्टोर/स्टॉक रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि में खरीदे गए प्रत्येक सामान की प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण अवधि में चयनित मासों में क्रय निम्न सामानों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं थी, का विवरण निम्न प्रकार से है:-

| Sr.No. | Year   | Bill No. &<br>Date   | Name of<br>Firm                       | Items                                                                               | Amt. (₹) |
|--------|--------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | 7/2009 | 368/5.6.09           | M/S Kullu<br>Computer<br>House, Kullu | H.P. Laser<br>Printer                                                               | 6050     |
| 2      | 8/2010 | R1-<br>0132/13.5.10  | M/S infosoft<br>solutions<br>Kullu    | Ink Cartridge and<br>Lamination<br>Pouch                                            | 19480    |
| 3      | 8/2010 | R1-<br>D131/13.5.12  | -do-                                  | Ink. Cartrodge                                                                      | 19560    |
| 4      | 5/2012 | R1-<br>0043/13.4.12  | -do-                                  | Printer wipro<br>5235                                                               | 15000    |
| 5      | 5/2012 | R1-<br>0062/19.4.12  | -do-                                  | Paper 80 col<br>Ribbon cartridge<br>Ribben Refill                                   | 3665     |
| 6      | 5/2012 | R1-<br>0044/13.4.12  | -do-                                  | Printer Head                                                                        | 6800     |
| 7      | 2/2015 | RI-<br>0558/30.12.14 | -do-                                  | Ink Cartridges<br>Lamination<br>Pouch Glossy<br>Paper<br>Tonner<br>RefillPaper etc. | 27460    |
| 8      | 1/2016 | RI-<br>0373/17.12.15 | -do-                                  | Ink Cartridges<br>Lamination<br>Pouch Paper<br>A4& Glossy<br>Paper                  | 25165    |

10 लघु आपत्ति विवरणी:- लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।

11 निष्कर्ष:- लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(14)xii(9)/2014 खण्ड-1-3112-3

115 दिनांक, 03.06.2017 शिमला-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत:-1 उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं सचिव ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई-गवर्नेन्स सोसाईटी कुल्लू जिला कुल्लू (हि0प्र0)
- 3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला-04
- 4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला-02

हस्ता/-

(चन्द्रेश हाण्डा)

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

0177-2620881